न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 102/2025/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 17.03.2025
अन्तर्गत धाराः 7(3) राजस्थान गौवंशीय अधिनियम, 1995

उनवान

मोहम्मद जावेद आत्मज फकीर मोहम्मद खान, निवासी आजाद मोहल्ला जालिया–2 अजमेर जरिये पावर आफ एटोर्नी होल्डर मोहम्द अयूब शाह पुत्र शकूर शाह निवासी नया जोरावपुरा, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री दीपक बबलानी, अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 26.03.2025

अपीलांट ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा प्र0 सं0 15/2024/(आव.व.अधि.) बउनवान राजस्थान सरकार बनाम मोहम्मद आयूब शाह वगे0 अन्तर्गत प्रथम सूचना सं0 155/2024 थाना सुकेत जुर्म अन्तर्गत 5, 6, 8, 11 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6ए एवं 451 जा0फो0 वास्ते सुपुर्दगी वाहन (ट्रक अशोक लिलेण्ड) संख्या MH 10 CR 2745 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2024 के विरूद्ध यह अपील राज0 गोवंशीय अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत धारा 7(3) में इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि पुलिस थाना सुकेत द्वारा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5, 6, 8, 11 के जुर्म में अपीलांट का वाहन (ट्रक अशोक लिलेण्ड) संख्या MH 10 CR 2745 को जप्त किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 451 जा0फो0 वास्ते सुपुर्दगी वाहन संख्या (ट्रक अशोक लिलेण्ड) संख्या MH 10 CR 2745 का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा थानाधिकारी सुकेत द्वारा जप्त वाहन (ट्रक अशोक लिलेण्ड) संख्या MH 10 CR 2745 को निर्णय दिनांक 16.07.2024 से धारा 5, 6, 8 गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 एवं धारा 11 पशु क्रुरता (निवारण) अधिनियम 1960 का अपराध प्रमाणित पाया जाने से प्रार्थना–पत्र वास्ते वाहन सुपुर्द किये जाने का वाहन (ट्रक अशोक लिलेण्ड) संख्या MH 10 CR 2745 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2 अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 16.07.2024 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 7(3) राजस्थान गौवंशीय अधिनियम, 1995 में अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय बिना किसी आधार के विधि एवं न्याय संचिका में मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों के विरूद्ध पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। उक्त वाहन थाना सुकेत में खुले में पड़े होने से वाहन के टायर, टयूब एवं मशीनरी के खराब होने की पूर्ण संभावना है। उक्त वाहन अपीलान्ट की आजीविका का एकमात्र साधन है तथा उक्त वाहन अपीलांट की सुपुर्दगी में नहीं दिया गया तो अपीलांट के परिवार की रोजीरोटी का संकट उत्पन्न हो जाने से संवैधानिक अधिकारों का हनन भी होगा। उपरोक्त प्रकरण में चालान पेश हो चुका है एवं वाहन की अभियोजन को किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही अपीलांट जब भी आवश्यकता होने पर वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु तैयार एवं तत्पर है एवं इस हेतु समुचित जमानत मुचलके भी प्रस्तुत करने को तत्पर है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय सरसरी तौर पर पारित किये जाने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.07.2024 निरस्त फरमाया जाकर उक्त वाहन (ट्रक अशोक लिलेण्ड) संख्या MH 10 CR 2745 को अपीलांट को सुपुर्दगी में दिए जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया तथा प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त वाहन थाना सुकेत में खुले में पड़े होने से वाहन के टायर, टयूब एवं मशीनरी के खराब होने की पूर्ण संभावना है। उक्त वाहन अपीलान्ट की आजीविका का एकमात्र साधन है। प्रकरण में चालान पेश हो चुका है एवं वाहन की अभियोजन को किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही अपीलांट जब भी आवश्यकता होने पर वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु तैयार एवं तत्पर है एवं इस हेतु समुचित जमानत मुचलके भी प्रस्तुत करने को तत्पर है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.07.2024 निरस्त फरमाया जाकर उक्त वाहन (ट्रक अशोक लिलेण्ड) संख्या MH 10 CR 2745 को अपीलांट को सुपुर्दगी में दिए जाने के आदेश प्रदान किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक उद्वरण 2022(1)Cr. Lr. [Raj.] Page No. 153 पेश किया।

5 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने जिला कलक्टर कोटा का निर्णय विधिसम्मत एवं न्यायोचित होना प्रकट करते हुए अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

6 हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

7 प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.07.2024 से धारा 5, 6, 8 गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 एवं धारा 11 पशु क्रुरता (निवारण) अधिनियम 1960 का अपराध प्रमाणित पाया जाने से प्रार्थना–पत्र वास्ते वाहन सुपुर्द किये जाने का वाहन (ट्रक अशोक लिलेण्ड) संख्या MH 10 CR 2745 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया है। इसके विपरित अपीलांट का न्यायालय हाजा में तर्क रहा है कि वाहन थाना सुकेत में खुले में पड़े होने से वाहन के टायर, टयूब एवं मशीनरी के खराब होने की पूर्ण संभावना है तथा उक्त वाहन अपीलान्ट की आजीविका का एकमात्र साधन है। प्रकरण में चालान पेश हो चुका है एवं वाहन की अभियोजन को किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही अपीलांट जब भी आवश्यकता होने पर वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु तैयार एवं तत्पर है। अपीलांट को ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्वरण 2022(1)Cr. Lr. [Raj.] Page No. 153 में वर्णित किया गया कि *'The case of Sunderbhai Ambalal Desai Vs. State of Gujarat, reported in (2002) 10 SCC 283, to contend that the Supreme Court has held that the vehicle should not be permitted to remain parked in the Police Station as same shall gather rust and shall not remain useful"*

8 अपीलांट के उक्त तर्क के संबंध में हस्तगत अपील प्रकरण में हमारा यह अभिमत है कि जप्त उक्त वाहन अपीलार्थी की आजिविका का साधन मात्र है तथा अत्याधिक लम्बे समय तक वाहन के खड़े रहने की स्थिति में पार्ट्स व मशीनरी के खराब होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की आर्थिक स्थिति के मध्यनजर सहज न्याय के दृष्टिगत, न्यायहित में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा द्वारा प्रकरण में पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 16.07.2024 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण थानाधिकारी, सुकेत को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा थानाधिकारी सुकेत को जप्त वाहन को इस शर्त पर अपीलार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी दौराने लम्बित प्रकरण, वाहन (ट्रक अशोक लिलेण्ड) संख्या MH 10 CR 2745 को खुर्दबुर्द अथवा बेचान नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर आवश्यक रूप से तत्काल संबंधित न्यायालय में पेश होगा एवं अपीलांट यदि उक्त वाहन में बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत की 50 प्रतिशत राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराकर रसीद एवं वांहन का स्वामी (जरिये मुख्तारआम अपीलांट) होने के प्रमाण के मूल दस्तावेज या प्रमाणित दस्तावेज थानाधिकारी, थाना सुकेत के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन अपीलार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावे। राशि जमा नहीं कराने एवं उक्त आदेश की पालना नहीं करने की दशा में जिला कलक्टर कोटा का निर्णय दिनांक 16.07.2024 यथावत रहेगा। थानाधिकारी, थाना सुकेत को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

9 निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा